न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 100/2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
देवीबाई पत्नी स्व0 मीठालाल उर्फ मीठिया जाति खण्डेलवाल निवासी स्वरूपगंज तहसील पिण्डवाड़ा		1. सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा 2. आदर्श शिक्षा समिति, सिरोही जरिये अध्यक्ष, अरविन्द कॉलेज पेवेलियन के पास, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री अश्विन मरड़िया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री प्रवीण कुमार शाह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 28-9-18

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.12(3)(49)राज./2001/987–92 दिनांक 29.03.2004 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भावरी के गत खसरा नम्बर 734 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा था, जो अपीलाण्ट के पति एवं उनके भाईयों की सह खातेदारी भूमि थी। उक्त खसरे के नये खसरा नम्बर 1208 व 1217 कायम हुए। खसरा नम्बर 1208 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा भूमि नहर के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया तथा शेष खसरा नम्बर 1217 2 बीघा 1 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट एवं उनके परिवारजनों के कब्जे काश्त में रही। आर्थिक तंगी के कारण अपीलाण्ट के पिता एवं उनके भाईयों द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को बंधक रखा। उक्त बंधक दस्तावेज की आड़ में अर्जुनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह, तुलसीराम पुत्र शिवराम, सुरेशचन्द्र पुत्र बालुभाई जैर एवं अन्य द्वारा मिलीभगत करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

अपीलाण्ट के पति एवं अन्य से बेचान दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर भूमि स्वयं के नाम करवा दी। इसके पश्चात तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट के पिता एवं उनके भाईयों द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तित करते हुए न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत द्वारा दिनांक 04.12.1985 को निर्णय पारित करते हुए उक्त भूमि को राजहक में लेने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में बिलानाम सरकारी दर्ज की गई। तत्पश्चात जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया। जैर अपील आदेश के जरिये जो आवंटन किया गया, उसमें यह शर्त थी कि आवंटी को कब्जा सुपुर्द किए जाने के दो वर्ष के भीतर आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना आज्ञापक है, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का न तो भूमि पर कब्जा है तथा न ही कोई निर्माण कार्य करवाया गया है, जो आवंटन शर्तों का उल्लंघन है। उक्त भूमि पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है। इसके अतिरिक्त आवंटी भूमिहीन नहीं होने के कारण आवंटन की पात्रता ही नहीं रखता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट के पति द्वारा पूर्व में अपील प्रस्तुत की गई थी, जो खारिज हुई। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल में भी प्रकरण विचाराधीन है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की है, अतः उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु मियाद बाधित नहीं है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार करावें तथा अपील स्वीकार कराते हुए जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर सिरोही द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत है, जिसमें किसी भी विधिक प्रावधान का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को आधार बनाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को भूमिहीन नहीं माना है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज से किसी प्रकार का शिकवा था, तो वे उक्त दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित कराते, किन्तु ऐसी कोई कार्यवाही अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गई। पूर्व में अपीलाण्ट के पति द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, जो खारिज़ की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जो खारिज़ हुई। जब इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में इस आदेश को परीक्षित किया जा चुका है, तो पुनः इसी न्यायालय द्वारा प्रकरण में सुनवाई नहीं की जा सकती है। इस कारण अपील रेसज्युडिकेटा से बाधित होने के कारण भी सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रकरण वर्ष 2004 में ही विचारण होकर निर्णीत हो चुका था, जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को बखूबी रही थी। इस कारण यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाला कैम्प-सिरोही

अपील मियाद बाधित होने के कारण भी सुनवाई योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाधित एवं रेसज्युडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की प्रथम जानकारी स्वयं को दिनांक 01.09.2016 को होना जाहिर किया। रेकर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट के पति द्वारा इसी आवंटन आदेश को वर्ष 2004 में चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो अपील संख्या 21/2005 दर्ज रजिस्टर हुई। उक्त अपील में दिनांक 05.04.2006 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट की अपील खारिज़ की गई। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट के पति द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 26.11.2013 को खारिज़ की गई। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील वर्ष 2016 में प्रस्तुत की है। प्रकरण सिलसिलेवार विभिन्न न्यायालयों से परीक्षित हुआ है, जो प्रथमतः अपीलाण्ट के पति के प्रार्थना पत्र पर एवं वर्तमान में अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर दायर हुआ है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह तथ्य कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 01.09.2016 को होना, सत्य से परे एवं कपोल कल्पित पाया जाता है, जिस पर विश्वास करने का कोई आधार ही नहीं है। इस सम्बन्ध में RRD 1994 Page 697 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5-Appellant's plea of lack of knowledge of impugned order, not substantiated by record-Condonation of delay refused and appeal dismissed as time bared. (Paras 3-4) (B) Affidavit-Appellant found to have filed false affidavit for obtaining stay order-Board directed prosecution of appellant for submitting false affidavit deliberately knowing full well that it was false. (Para 5) . इसी प्रकार RRD 1994 page 25 में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, Section 5 – Application for condonation of delay did not contain any material explaining delay-Collector also not considering whether there ws satisfactory explanation-Condonation of delay was not proper Mere fact of submission of application did not justify condonation. (B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Receptacles) Rules, Rule 4-Land recorded as Banjar-Mention of word "talai" in column not explained allotment of talai is not prohibited by the rules. इसी प्रकार 2013(3) Weekly Law Notes 68 6(SC) में प्रतिपादित किया कि (A) Limitation Act, 1963-Sec. 5-Sufficient Cause-Construction-term should be considered with pragmatism in Justice oriented approach rather than technically insisting to explain delay of every day-Delay in Official Business requires its pedantic approach from Public Justice perspective.

(B) Limitation Act, 163, -Dec, 5- Sufficient Cause-Appellant obtaining decree for permanent injunction against Respondent State in 1969 Execution applied in

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

2009-Objection of the Respondent under Sec. 47 CPC rejected-on 17-08-2010-Respondent filed another objection on 15-09-2011 for recall of attachment-Objection dismissed on 15-09-2011-Revision filed before District Judge against order dated 17-08-2010-District Judge condoned the Delay and High Court agreed with the same-Held, No sufficient cause made out merely because respondent is the State the delay cannot be condoned- Delay in filing execution case cannot be a Ground to condone the delay in filing Revision. हस्तगत प्रकरण में भी अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जा सके। इस कारण अपील प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने से सुनवाई से बाधित पाई जाती है।

इसके बावजूद भी यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाए, तो यह स्थिति प्रकट होती है कि क्या अपीलाण्ट इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है ? एवं क्या अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है ? इस सम्बन्ध में स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में अंकित तथ्यों एवं रेकर्ड का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जैर अपील वादस्थ भूमि का बेचान हो चुका था। हालांकि अपीलाण्ट ने उक्त बेचान दस्तावेज को कूटरचित होना जाहिर किया, किन्तु उक्त बेचान को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो, ऐसे दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 21.09.1977 को जब भूमि का बेचान किया जा चुका था, तो उसके पश्चात से जैर अपील वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का किसी भी रूप में हक हिस्सा निहित नहीं था तथा न ही अपीलाण्ट इस भूमि में किसी भी प्रकार से हितबद्ध थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही हुई है, वह कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मध्य हुई। चूंकि वक्त आवंटन भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवेदन पर प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को आवंटन किया गया है। इस समस्त प्रक्रिया में अपीलाण्ट के हित किस रूप में प्रभावित होतें हैं, अपीलाण्ट इस तथ्य को सिद्ध करने में असफल रहे है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट प्रकरण में तृतीय पक्ष है, जो किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है। इस प्रकार तकनीकि दृष्टिकोण से एवं गुणावगुण, दोनों पर ही प्रकरण का परीक्षण करने पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील किसी भी रूप में पोषणीय नहीं पाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कम्प-सिरोही

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है,

जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील परिसीमा से बाधित होने एवं गुणावगुण पर भी पोषणीय नहीं होने से खारिज़ की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28-9-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही